राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1221/2010/भरतपुर

मैसर्स डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
(नया नाम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट)
भरतपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–ए,भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित

श्री सी.बी.अग्रवाल
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.कें.बैद
उप राजकीय अभिभाषक

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 9.01.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 150/उपा–अपील्स/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2010 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–अ, भरतपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 1997–98 कर निर्धारण दिनांक 31.11.2004 को पारित किया जाकर मांग सृजित की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश प्रतिप्रेषित किये जाने की कपालना में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया,जिसमें डिपो ट्रांसफर के रूप में की गई बिक्री के समर्थन में एफा फार्म प्रस्तुत करने पर कर रू. 6727807/– व ब्याज रू. 9015261/–आरोपित किया गया। उक्त आरोपित कर एवं ब्याज के विरूद्ध अपीलार्था द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 29.03.2010 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 29.03.2010 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 1997–98 कर निर्धारण दिनांक 16.03.2012 को पारित कर दिया गया है इसलिए जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब

प्रमाणित प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अस्तित्व में नहीं रहा है। अतः अपील सारहीन **(Infructuous)** हो जाने से अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के कथन के विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.03.2010 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2010 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। बहस के दौरान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2012 को पारित किया जा चुका है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 29.03..2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

परिणामतः राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9.1.2014

(मदन लाल)

सदस्य

(सुनील शर्मा)

सदस्य

निशान किया